



**अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या-01/2022-2023**

आगामी नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के निमित्त प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों से निर्वाचन सामग्री (यथा स्ट्रीप सील, स्पेशल टैग, एड्रेस टैग) की आपूर्ति हेतु मुहरबंद निविदा द्विलिफाफा पद्धति (तकनीकी एवं वित्तीय) से दिनांक 27.06.2022 को अपराह्न 01.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक 27.06.2022 को अपराह्न 3.30 बजे सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय कक्ष में क्रय-सह-दर निर्धारण समिति के समक्ष खोली जायेगी। तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी। विस्तृत जानकारी आयोग के वेबसाईट sec.bihar.gov.in पर देखा जा सकता है।

**2. सामान्य शर्त :-**

(i) मुद्रित/क्रय की जाने वाली निर्वाचन सामग्रियों का विवरण निम्नवत है :-

क्रम सं०	निर्वाचन सामग्री का नाम	निर्वाचन सामग्रियों की कुल संख्या
1	स्ट्रीप सील	लगभग 2,50,000 (दो लाख पचास हजार)
2	स्पेशल टैग	लगभग 2,50,000 (दो लाख पचास हजार)
3	एड्रेस टैग	लगभग 12,00,000 (बारह लाख)

(ii) मुद्रित की जाने वाली सामग्री की विस्तृत जानकारी/नमूना आयोग कार्यालय से कार्यालय अवधि में अवलोकन किया जा सकता है।

(iii) मुद्रित/क्रय की जाने वाली सामग्रियों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है।

**3. तकनीकी शर्त निम्नलिखित है :-**

(i) निविदा के साथ अग्रधन के रूप में 25,000/- (पचीस हजार) रुपये का बैंक ड्राफ्ट उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना के नाम से जमा करना होगा।

(ii) निविदादाता को समान प्रकृति के कार्य का कम से कम तीन वर्षों का अनुभव होना चाहिए। (सरकारी/अर्धसरकारी क्षेत्र में प्रिंटिंग से संबंधित कार्य अनुभव प्रमाण पत्र/कार्यादेश की प्रति तीन वर्षों का संलग्न करें)।

(iii) निविदादाता को आयकर दाता होने के लिए कम से कम अद्यतन तीन वर्षों का आयकर रिटर्न जमा करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। (आयकर रिटर्न की प्रति संलग्न करें)।

(iv) निविदादाता को अद्यतन तीन वर्षों में न्यूनतम वार्षिक टर्नओवर 50 लाख रुपये से कम नहीं होना चाहिए। (जो गत तीन वर्षों का अंकेक्षित Balance sheet के आधार पर हो)

(v) निविदादाता के पास GST निबंधन प्रमाण पत्र होना चाहिए। ( GST Return Filing प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)।

(vi) फर्म/ऑफसेट प्रेस से संबंधित कागजात (Press Declaration) संलग्न करना होगा जो निविदादाता के नाम पर होना चाहिए।

(vii) फर्म किसी कार्यालय द्वारा काली सूची में नहीं डाली गई हो, इस आशय का (Notary द्वारा निर्गत) शपथ-पत्र देना होगा।

(viii) निविदा के साथ कागज/बोर्ड का नमूना संलग्न करना होगा। जिसपर निविदादाता का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

(ix) निविदादाता को सक्षम प्राधिकार से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

(x) सामग्री की आपूर्ति में विलंब होने पर (0.5% प्रतिशत एवं अधिकतम 5% कुल मूल्य) का कटौती की जाएगी।

(xi) सामग्रियों को 07, क्रांति मार्ग (हार्डिंग रोड) स्थित (राज्य निर्वाचन आयोग) कार्यालय स्थल पर आपूर्ति के लिए अलग से कोई राशि देय नहीं होगा।

(xii) सफल निविदादाता को एकरारनामा के समय कुल मूल्य का 10 प्रतिशत सिक्क्युरिटी मनी बैंक ड्राफ्ट के रूप में उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार के नाम से देना होगा।

4. वित्तीय शर्त निम्न है :-

(i) उपरोक्त सभी निर्वाचन सामग्रियों का दर अंक एवं शब्द दोनों में सभी करों सहित अलग-अलग अंकित करना है।

5. सफल निविदादाता को अंतिम मुद्रण के पूर्व निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप Proof, Hard Copy में समर्पित करना होगा।

6. निविदा दिनांक 27.06.2022 को ही अपराह्न 3.30 बजे क्रय-सह-दर निर्धारण निविदा समिति के समक्ष खोली जायेगी। निविदा खोले जाने के समय निविदाकर्ता स्वयं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

7. चयनित फर्म/प्रेस को आपूर्ति आदेश के अधिकतम 15 दिनों के अन्दर निर्वाचन सामग्री की आपूर्ति 7, क्रांति मार्ग (हार्डिंग रोड) स्थित राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय में करना होगा। उसके लिये अलग से कोई शुल्क का भुगतान नहीं किया जायेगा। निर्धारित समय पर निर्वाचन सामग्री की आपूर्ति नहीं किये जाने पर आदेश को रद्द कर दिया जायेगा तथा कार्य समय पर पूरा नहीं करने के एवज में अन्य वैधानिक कार्रवाई की जायेगी। मुद्रण की गुणवत्ता में कमी होने पर भी फर्म/प्रेस के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

8. राज्य निर्वाचन आयोग को किसी भी समय निविदा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार के आदेश से

सचिव,

राज्य निर्वाचन आयोग,  
बिहार।

ज्ञापांक न०नि०-50-19/2022 2090

पटना, दिनांक 01 मई, 2022

प्रतिलिपि: श्री नीतीश कुमार, आई.टी. प्रबंधक एवं निदेशक, Software Education & Research Pvt.Ltd को आयोग के

बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।